



न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल मोप० ग्वालियर

पुकरण क्रमांक-

R-1348-II/2010

/2010 निगरानी

महावीर पुत्र रामनारायण जाति^८ मीणा

निवासी- ग्राम रन्नोद परगना व जिला

श्योपुर ₹ मोप०

प्राथी

बनाम

मोप० शासन द्वारा

कलेक्टर श्योपुर ₹ मोप०

प्रतिप्राथी

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 मोरारंहिता विरुद्ध

आदेश दिनांक- 18-06-2010 पारित द्वारा अपर-

आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना पुकरण क्रमांक-

108/2009-2010 अपील जिसके द्वारा प्राथी की अपीले

ग्राह्यता के आधार पर कलेक्टर श्योपुर के पुकरण क्रमांक-

59/2006-2007 बी-121 मे पारित आदेश दिनांक-

11-02-2010 के विरुद्ध अपील निरस्त की गयी।

प्राथी की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- 1- यहकि, पुकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि, तहसील-दार महोदय द्वारा पुकरण क्रमांक-58/88-89 आर-46 मे पारित आदेश दिनांक-07-08-89 के द्वारा प्राथी के पिता के पक्ष मे नामांकित आदेश पारित किया गया।

R-1348-II/10 दिनांक -

14.7.17

आवेदन क्रम. नं. १० के

संपर्क अनु० | आवेदन क्रम. नं. १० के
19-10-16 के बाद अप० जली हो रही है।
अत इसका अप० 2010 की 7 अक्टूबर
को इनायील लॉ के काद एवं अप० विभाग
को स्पष्टीये अत प्रकार समाप्ति की
अवास अप० 7 अक्टूबर 2010 की अवास लॉ को
को इनायील लॉ के काद एवं अप० विभाग
को स्पष्टीये अत प्रकार समाप्ति की

SP/10.

[कृ. प. उ.]